दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /12 निगरानी R-513-II/2012

नत्थू तनय मुनवा अहिरवार निवासी वार्ड क्र. 5 पठवा पुरवा नगर, चन्दला तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

1. रमैया तनय मुल्ली अहिरवार
2. झल्लू तनय दुर्जन अहिरवार
3. भवानीदीन तनय झल्लू अहिरवार
4. दयाली तनय झल्लू अहिरवार

समस्त निवासीगण वार्ड क्र. 5 पठवा पुरवा नगर, चन्दला तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरुद्ध आदेश तहसीलदार चन्दला जिला छतरपुर के न्यायालय के प्रकण क्रमांक 765 बी/121/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25.1.12

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां आवेदक ने निम्न आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2. यहकि, आवेदक का रिहायशी मकान वार्ड क्र. 5 पठवा पुरवा नगर पंचायत चन्दला में स्थित है जिसके पीछे आवेदक का खण्डहर पड़ा हुआ है जो करीबन उत्तर-दक्षिण 25 फीट पूर्व-पश्चिम 20 फीट के लगभग है जिसमें आवेदक के अलावा अन्य किसी का निस्तार व आधिपत्य नहीं है।

3. यहकि, अनावेदकगणों का मकान आवेदक के मकान के दक्षिण दिशा में लगा हुआ है उनके मकान का रास्ता हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहा है तथा आज भी पूर्व दिशा की ओर रास्ता खुला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-513-दो/2012 जिला-छतरपुर

नत्थू विरूद्ध रमैया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार चन्दला, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-765/बी-121/2010-11 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 25-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-03-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 24/01/19
सदस्य